न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 116/2019 दायरा दिनांक : 28.08.2019

उनवान

1— सुरेश चन्द पुत्र घासी लाल, जाति लुहार,

2— ओम प्रकाश पुत्र घासी लाल, जाति लुहार,

3— गोपाल पुत्र घासी लाल, जाति लुहार,

4— सुनीता पत्नी गोपाल, जाति लुहार,

निवासीगण मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0

.... अपीलांट

बनाम

मेहरूनिशा पत्नी उस्मानगिनी, उम्र 62 वर्ष, कौम मुसलमान, निवासी केशवपुरा, कोटा हाल निवासी मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सलीम खान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.07.2022

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 92/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने यह दावा अर्न्तगत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया । ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहबाद जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खतौनी संख्या नयी 271 पुरानी 249 व 292 में खसरा नम्बर 42 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। दक्षिणी तरफ पर रेस्पोडेंट/वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी का जबरन कब्जा करना बताया तथा उपरोक्त भूमियों का एक ही खातेदार न होकर अलग–अलग खातेदार हैं। इस कारण वादी/रेस्पोडेंट ने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से खातेदार व खसरा नम्बरान अंकित नहीं किये हैं। जबकि अलग–अलग खातेदारों एवं अलग–अलग नम्बर के लिये पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है। वादिनी/रेस्पोडेंट का पति ग्राम मुण्डियर का हल्का पटवारी रह चुका है जिसका नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी/अपीलांट की खातेदारी की भूमि हड़पने के लिये अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदार की आराजी ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहबाद जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 खतौनी संख्या नयी 338 पुरानी 303 खसरा नम्बर 46 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा जिस पर 20 वर्ष से अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसके खातेदार सुरेश चन्द, ओम प्रकाश व गोपाल हैं। इसी प्रकार ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहबाद जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खतौनी संख्या नयी 397 पुरानी 1 खसरा नम्बर 54 रकबा 3

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बीघा 12 बिस्वा पर अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट/प्रतिवादीगणों ने पत्थर का कोट कर रखा है। रेस्पोडेंट/वादी अपीलांट की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी ने अपने कब्जे बाबत कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है एवं वादी/रेस्पोडेंट ग्राम मुण्डियर का मूल निवासी भी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा।

टंकणकर्ता
कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ. अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– सुरेश चन्द पुत्र घासी लाल, जाति लुहार,
2– ओम प्रकाश पुत्र घासी लाल, जाति लुहार,
3– गोपाल पुत्र घासी लाल, जाति लुहार,
4– सुनीता पत्नी गोपाल, जाति लुहार,
निवासीगण मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0

......अपीलांट

बनाम

मेहरुनिशा पत्नी उस्मानगिनी, उम्र 62 वर्ष, कौम मुसलमान, निवासी केशवपुरा, कोटा हाल निवासी मुण्डियर, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राज0

...... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 116/2019 व नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद

मु.द.नं. 92/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक – 27.06.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 07 सन् **2022**

हाजरी **श्री बृजराज चौहान** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री सलीम खान** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट न. 1

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 20 माह 07 सन् **2022** को जारी किया गया।

(डॉ. अनुपमा टेलर)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा